

न्यायाधीशों की परसिंपत्तियों की घोषणा

प्रलिमिंस के लिये:

[सूचना का अधिकार, उच्च न्यायालय, सचिव, सर्वोच्च न्यायालय, नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक \(CAG\), मंत्रपरिषद, संसदीय समिति, लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश \(CJI\)।](#)

मेन्स के लिये:

न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता की आवश्यकता है ताकि इसके कामकाज में जनता का विश्वास मज़बूत हो सके।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सूचना के अधिकार](#) के तहत प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि कुल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से केवल 13% की परसिंपत्तियों का वविरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

- परसिंपत्तियों के वविरण में न्यायाधीशों, उनके जीवनसाथियों और आश्रितों कीचल और अचल संपत्तियाँ, शेयरों, म्यूचुअल फंड, सावधि जमाओं में नविश और बैंक ऋण जैसी देनदारियाँ शामिल हैं।

न्यायाधीशों द्वारा परसिंपत्तियों की घोषणा से संबंधित मुख्य बट्टि क्या हैं?

- घोषणाओं की कम दर: भारत के 25 उच्च न्यायालयों में तैनात 749 न्यायाधीशों में से केवल 98 न्यायाधीशों (लगभग 13%) ने अपनी परसिंपत्तियाँ सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई हैं। पारदर्शिता के लिये किये गए प्रयासों के बावजूद यह आश्चर्यजनक रूप से कम आँकड़ा है।
- परसिंपत्तियों की घोषणाओं का संकेंद्रण: 80% घोषणाएँ केवल तीन उच्च न्यायालयों- केरल उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा दलिली उच्च न्यायालय से प्राप्त हुई हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय का आंशिक खुलासा: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 33 न्यायाधीशों में से 27 के नाम जारी किये जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी परसिंपत्तियों घोषित की थी, लेकिन परसिंपत्तियों का वविरण प्रकट नहीं किया गया।
- वविधि प्रतकिरियाएँ: इलाहाबाद और बॉम्बे उच्च न्यायालयों ने कहा कि परसिंपत्तियों की घोषणा RTI अधिनियम, 2005 के तहत "सूचना" के रूप में शामिल नहीं है।
- गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने में कोई सार्वजनिक हति नहीं है।
- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय ने परसिंपत्तियों की घोषणाओं को गोपनीय बताया और कहा कि उन्हें ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया जा सकता।

न्यायाधीशों द्वारा परसिंपत्तियों की घोषणा के प्रावधान क्या हैं?

- अखलि भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968: सरकार न्यायाधीशों और सविलि सेवकों के बीच तुलना करती है, क्योंकि न्यायाधीशों का वेतन सविलि सेवकों, वशिष रूप से भारत सरकार में सचवि स्तर के अधिकारियों के वेतन के संबंध में नरिधारित किया जाता है।
 - नयिमों के नयिम 16(1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो सेवा का सदस्य है, उसे अपनी परसिंपत्तियों और देनदारियों का वविरण प्रस्तुत करना होगा, जो न्यायाधीशों पर भी लागू होना चाहिए।
 - न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनरस्थापन, 1997: वर्ष 1997 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ न्यायिक मानदंड अपनाए, जनिमें कहा गया था कि प्रत्येक न्यायाधीश को अपने नाम पर, अपने जीवनसाथी या उन पर नरिभर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अचल परसिंपत्तियाँ या नविश के रूप में रखी गई सभी परसिंपत्तियों की घोषणा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करनी चाहिए।
- वर्ष 2009 का संकल्प: वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर न्यायाधीशों की परसिंपत्तियों की घोषित करने का संकल्प लिया और कहा कि यह "पूरणतया स्वैच्छिक आधार पर" था।

- उसी वर्ष **दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया** जिसमें कहा गया कि सभी न्यायाधीश अपनी परसिंपत्तियों सार्वजनिक करने पर सहमत हो गए हैं।
- **संवैधानिक प्राधिकारी:** अन्य संवैधानिक प्राधिकारी, जैसे **नयितरक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** और **मंत्रपरिषद**, द्वारा पहले से ही अपनी परसिंपत्तियों की घोषणा की जा रही है तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है।
 - इससे न्यायाधीशों के लिये भी अपनी परसिंपत्तियों का **नयिमति रूप से और सार्वजनिक रूप से खुलासा करने की** मसाल कायम होती है।
- **समिति की सफारिशें:** **कार्मिक, लोक शकियत तथा वधि एवं न्याय संबंधी संसदीय समिति** ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की परसिंपत्तियों और देनदारियों के **अनविर्य प्रकटीकरण** के लिये कानून बनाने की सफारिश की है।
- **न्यायिक मानक और जवाबदेही वधियक:** न्यायाधीशों द्वारा **अनविर्य परसिंपत्त घोषणा** सहित न्यायिक पारदर्शिता की आवश्यकता को संबोधित करने के लिये **"न्यायिक मानक और जवाबदेही वधियक, 2010"** नामक एक वधियक तैयार किया गया था।
 - **हालाँकि, 15 वीं लोकसभा** के भंग होने के बाद यह वधियक नरिसत हो गया और इसे दोबारा पेश नहीं किया गया।

न्यायाधीशों द्वारा परसिंपत्तियों की घोषणा की क्या आवश्यकता है?

- **सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही:** न्यायाधीश नयिमति रूप से **कानून, सरकारी नीतियों** और नविदाएँ देने से संबंधित नरिणयों की समीक्षा करते हैं, जिससे उनके लिये अपनी परसिंपत्तियों के संबंध में **पारदर्शिता सुनिश्चित करना** आवश्यक हो जाता है।
 - यदि किसी नविदा के लिये ज़मिमेदार **मंत्रि को अपनी परसिंपत्तिका खुलासा करना आवश्यक है**, तो मंत्रि के नरिणयों की **समीक्षा करने वाले न्यायाधीश को भी ऐसा ही करना चाहिये**।
- **जनता का विश्वास मज़बूत करना:** न्यायाधीशों द्वारा अपनी परसिंपत्तिका घोषणा से न्यायिक प्रणाली में **जनता का विश्वास** बढ़ाने में मदद मलिंगी, क्योंकि यह नषिपकषता और नषिपकषता के प्रतउनकी प्रतबिदधता को प्रदर्शित करता है।
- **पारदर्शिता:** सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला दिया है कि **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005** के तहत एक **'सार्वजनिक प्राधिकरण'** है और **RTI अधिनियम, 2005** के प्राधानों के अधीन है। परसिंपत्तिका घोषणा न्यायपालिका में **अधिक पारदर्शिता** की दशा में एक प्रगतशील कदम है।
- **धारणा का महत्त्व:** सार्वजनिक जीवन में, **लोग कार्यों और नरिणयों को किस तरह से देखते हैं, यह वचिर और विश्वास को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है**। न्यायपालिका को **पारदर्शी और दोषमुक्त माना जाना चाहिये**।
 - न्यायाधीशों की संपत्तिका बारे में **गोपनीयता बनाए रखने से** न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम हो सकता है।

न्यायाधीशों की परसिंपत्तियों की घोषणा के संबंध में वकिसति देश क्या पद्धतियाँ अपनाते हैं?

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** सरकार में **नैतिकता अधिनियम, 1978** के तहत संघीय न्यायाधीशों को **आय के स्रोत और परसिंपत्तियों का खुलासा** करना होगा।
 - न्यायाधीशों को उन उपहारों के स्रोत, वविरण और मूल्य का भी खुलासा करना होगा जिनका कुल मूल्य एक नशिचित न्यूनतम राशि से अधिक है।
- **दक्षिण कोरिया:** लोक सेवा **नैतिकता अधिनियम, 1993** के तहत न्यायाधीशों और उनके जीवनसाथियों सहित सभी उच्च पदस्थ सार्वजनिक अधिकारियों को **अचल संपत्ति, अमूरत संपत्ति और गैर-सार्वजनिक व्यावसायिक संस्थाओं में शेयरों** के अपने स्वामित्व का खुलासा करना होगा।
- **फिलीपींस:** भ्रष्टाचार वशिधी एवं भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1960 के तहत सार्वजनिक अधिकारियों को घोषणा के रूप में अपनी संपत्तिका खुलासा करना आवश्यक है।
- **रूस:** भ्रष्टाचार वशिधी कानूनों के तहत न्यायाधीशों और उनके परिवार के सदस्यों तथा न्यायाधीश पद के आवेदकों की परसिंपत्तिका और आय पर **नयितरण अनविर्य है**।

न्यायाधीशों द्वारा परसिंपत्तियों की घोषणा से संबंधित क्या चतिएँ हैं?

- **गोपनीयता और सुरक्षा:** सार्वजनिक प्रकटीकरण से न्यायाधीशों और उनके परिवारों को **उत्पीडन या जबरन वसूली जैसे जोखमिों का सामना करना पड़ सकता है**, जिससे उनकी सुरक्षा तथा गोपनीयता के बारे में चतिएँ बढ़ सकती हैं।
- **सूचना का दुरुपयोग:** परसिंपत्तियों के वविरण का **राजनीतिक या व्यक्तगत उद्देश्यों** के लिये दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे न्यायाधीशों पर अनुचति जाँच या दबाव बढ़ सकता है।
- **न्यायिक स्वतंत्रता:** कुछ लोग तर्क देते हैं कि अनविर्य रूप से परसिंपत्तियों की घोषणा, न्यायाधीशों को बाहरी प्रभावों या सार्वजनिक आलोचना के अधीन करके **न्यायिक स्वतंत्रता को कमज़ोर कर सकती है**।
- **स्वैच्छिक प्रकृति:** चूँकि भारत में परसिंपत्तिका प्रकटीकरण स्वैच्छिक है, इसलिये **इस व्यवहार में असंगतता के कारण** असमान पारदर्शिता की धारणा उत्पन्न हो सकती है।
- **अनुमानित सार्वजनिक दबाव:** न्यायाधीश वत्तीय मामलों पर **जनता की राय के अनुरूप चलने के** लिये बाध्य महसूस कर सकते हैं, जिससे वत्तीय या आर्थिक मुद्दों से जुड़े मामलों में उनकी नषिपकषता प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह:

- **कानून बनाना:** अगस्त 2023 में, एक संसदीय स्थायी समिति ने 'न्यायिक प्रक्रियाएँ और उनके सुधार' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सफ़ाई की गई कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उचित प्राधिकारी को वार्षिक परसंपत्ति रिटर्न प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक कानून बनाया जाना चाहिये।
- **स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करना:** सर्वोच्च न्यायालय को परसंपत्ति घोषणा के लिये स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिये, जिसमें समय-सीमा, प्रारूप और प्रकट की जाने वाली विशिष्ट जानकारी शामिल हो।
- **वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट:** न्यायपालिका भी अन्य संवैधानिक प्राधिकारियों की तरह, परसंपत्तियों की घोषणाओं का सारांश प्रस्तुत करते हुए वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित कर सकती है।
- **गोपनीयता और जवाबदेही में संतुलन:** परसंपत्तियों की घोषणा के ढाँचे में न्यायाधीशों की गोपनीयता बनाए रखने और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिये।

QUESTION QUESTION QUESTION QUESTION:

प्रश्न: भारत में न्यायाधीशों द्वारा अनविरय संपत्तियों की घोषणा के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

QUESTION QUESTION QUESTION QUESTION

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचार कीजिये:

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति की पूरव अनुमति से वापस बैठने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिये बुलाया जा सकता है।
2. भारत में उच्च न्यायालय के पास अपने नरिणय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारत के संवधान के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचार कीजिये: (2019)

1. किसी भी केंद्रीय वधि को सांवधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी।
2. भारत के संवधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

QUESTION QUESTION QUESTION QUESTION

प्रश्न: 'संवैधानिक नैतिकता' की जड़ संवधान में ही नहिति है और इसके तात्त्विक फलकों पर आधारित है। 'संवैधानिक नैतिकता' के सदिधांत की प्रारसंगिक न्यायिक नरिणयों की सहायता से वविचना कीजिये। (2021)

प्रश्न: न्यायिक वधायन, भारतीय संवधान में परकिलपति शक्ति पृथककरण सदिधान्त का प्रतपिकषी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दशा-नरिदेश देने की प्रारथना करने संबंधी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली, लोक हति याचिकाओं का न्याय औचित्य सदिध कीजिये। (2020)

